



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

“बिटा बिल्डिंग”, 9 वी मंजिल / “BETA BUILDING”, 9<sup>th</sup> FLOOR

आय-थिंक टेक्नो कैंपस / I-THINK TECHNO CAMPUS

कांजुर गाँव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD

कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST)

मुंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042

टेलीफोन: 022-25752040/1/2/3

फैक्स: 022-25752029/35

ई-मेल: [dgship-dgs@nic.in](mailto:dgship-dgs@nic.in)

वेब: [www.dgshipping.gov.in](http://www.dgshipping.gov.in)

Tele: 022-25752040/1/2/3

Fax: 022-25752029/35

E-mail: [dgship-dgs@nic.in](mailto:dgship-dgs@nic.in)

Web: [www.dgshipping.gov.in](http://www.dgshipping.gov.in)

फाईल सं. पीबी-29(3)/98

दिनांक: 04.01.2018

### कार्यालय आदेश संख्या 02/2018

श्री टी. के. कृष्णकुमार उप निदेशक नाविक रोजगार कार्यालय, समुद्री वाणिज्य विभाग, ऐंकर गेट बिल्डिंग राजाजी सलाई चेन्नई द्वारा फाईल किए गए ओ.ए./310/01146/2017 में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण मद्रास बेंच द्वारा दिए गए दिनांक 20/07/2017 के मौखिक आदेश के अनुपालन में तथा एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत दिनांक 17/2/2016 के कार्यालय आदेश संख्या 22 के अनुसार उन्हें दिए गए वित्तीय अपग्रेडेशन के बारे में उनके अभ्यावेदान दिनांक 4/4/2017 के संबंध में समीक्षा की गई और यह पाया गया की-

(ए) वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फाईल नं. 1/1/2008-आई/सी के दिनांक 13.11.2009 के अनुसार इस कार्यालय ने अर्धवेतन कार्यालय संख्या संख्या 134 दिनांक 11.12.2009 के अनुसार पे स्ट्रक्चर परिशोधित किया था (सहायक नाविकपाल/सहायक निदेशक) रु. 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4200/- को रु. 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4600/- किया गया था।

(बी) श्री टी. के. कृष्णकुमार की नियुक्ति के समय वे 17/02/1999 से उस समय प्रचलित वेतनमान रु. 6500-200-10500 (5 वां सीपीसी वेतन मान) ने सहायक नाविक पाल/सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे। इस के बाद वे 17/02/2001 के सहायक नाविक पाल सहायक निदेशक के पद पर कन्फर्म हुए।

(सी) इसके बाद वे उप नाविक पाल/उप निदेशक के पद पर तत्कालिन वेतन माल रु. 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4600 में 30.11.2004 से पदोन्नत हुए और रु. 4600/- रुपया के ग्रेड पे में दस साल की निरंतर नियमित सेवा पूरी करने के उपरान्त उन्हें दिनांक 17/02/2018 के कार्यालय आदेश संख्या 22 के अनुसार 30.11.2014 से दूसरा वित्तीय अपग्रेडेशन दिया गया।

(डी) अशोधित एमएसीपी के अंतर्गत अपग्रेडेशन दिए जाने के प्रयोजन से छठे वेतन आयोग धारा संस्तुत वेतन मानोको मिलाए जाने पदों का अपग्रेड किए जाने के कारण एक जैसी ग्रेड पे वाले ग्रेडों में जो हैं उन्हें एमएसीपी के अंतर्गत प्राप्त पदोन्नोती दिया गए अपग्रेडेशन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 19/05/2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008- स्थापना के पैरा पांच अनुलग्नक के अनुसार ध्यान नहीं रखा जाएगा क्योंकि सहायक नाविक पाल और उप नाविक पाल की ग्रेड पे फिर से यानी रु. 4600/- रुपए हैं उन्हें उप नाविक पाल के रूप में दी गई पदोन्नति की उपर्युक्त ज्ञापन के प्रवधानों के अनुसार ध्यान में नहीं रखना होगा। 01/03/2009 को उन्होंने रु. 4600/- रुपया की ग्रेड पे में दस साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है। 01/03/2009 को पहली एसीपी देय हो गई थी जो कि रु. 4800/- रुपया के ग्रेड पे में थी बजाय इसके की उन्हें 30.11.2014 से दूसरा वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जाए।



(2) इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि श्री टी. के. कृष्ण कुमार, उप नाविक पाल को दिनांक 04.04.2017 के अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरांत यह आदेश दिया की दिनांक 17/2/2016 के आदेश के अनुसार जारी 30/11/2014 से प्रवृत्त की बजाय दिनांक 17/2/2009 से प्रवृत्त याचिका कर्ता को पहली एमएसीपी पे बैंड 2 रु. 9300-34800 ग्रेड पे रु. 4800/- रुपया में दि जाए।

(3) इसे नौवहन महानिदेशक और विशेष सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन जारी किया जाता है।



(सुभाष बरगुजर)

उप नौवहन महानिदेशक (कार्मिक)

सेवा में,

श्री टी. के. कृष्णकुमार उप निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, समुद्री वाणिज्य विभाग, एंकर गेट बिल्डिंग, राजाजी सलाई, चेन्नई.

जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की प्रतिलिपि,

1. प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, चेन्नई श्री टी. के. कृष्णकुमार उप निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, समुद्री वाणिज्य विभाग, चेन्नई के वेतन निर्धारण में संशोधन करने और उनके कारण वेतन के बकाया राशि को संशोधित करने के अनुरोध के साथ।
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी (नौवहन), कोलकाता.





भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

"बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल / "BETA BUILDING", 9<sup>th</sup> FLOOR

आय-थिंक टेक्नो कैंम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS

कांजुर गांव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD

कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG(EAST)

मुंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042

टिफोन: 022-25752040/1/2/3

फैक्स: 022 - 25752029 / 35

ईमेल: dgship-dgs@nic.in

वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022-25752040/1/2/3

Fax: 022 - 25752029 / 35

E-mail: dgship-dgs@nic.in

Web: www.dgshipping.gov.in

**F.NO.PB-29(3)/98**

**Dated: 04.01.2018**

**OFFICE ORDER NO. 02/2018**

**4 JAN 2018**

In compliance with the Oral Order dated 20<sup>th</sup> July 2017 pronounced by the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Madras Bench in OA/310/01146/2017 filed by Shri T. K. Krishnakumar, Deputy Director, Seamen's Employment Office, Mercantile Marine Department, Anchor Gate Building, Rajaji Salai, Chennai and with reference to his representation dated 04.04.2017 the financial upgradation granted to him vide this office Order No.22 dated 17.02.2016 under the MACP Scheme has been reviewed and it is observed that –

- (a) As per Ministry of Finance, Department of Expenditure's O.M. No.F.No.1/1/2008-lc dated 13.11.2009, this office vide Office Order No.134 dated 11.12.2009 revised the pay structure of (Asstt. Shipping Master/Asstt. Director ) ₹ 9300-34800 + Grade Pay 4200/- as ₹ 9300-34800 + Grade Pay Rs.4600/-.
- (b) Shri T. K. Krishna Kumar was appointed as Assistant Shipping Master/Assistant Director (ASM/AD) in the pay scale of ₹ 6500-200-10500[5<sup>th</sup> CPC scale) w.e.f.17.02.1999 prevalent at the time of his appointment. Subsequently he was confirmed in the post of Asstt. Shipping Master/Asstt. Director w.e.f.17.02.2001.
- (c) Further, he was promoted to the post of Deputy Shipping Master/Deputy Director in the then pay scale of ₹ 9300-34800 + Grade Pay ₹ 4600/- w.e.f. 30.11.2004 and on completion of 10 years of continuous regular service in the Grade Pay of ₹ 4600/- he was granted the 2<sup>nd</sup> Financial upgradation w.e.f. 30.11.2014 vide Office Order No.22 dated 17.02.2016.
- (d) As per para 5, Annexure-I of Office Memorandum No.35034/3/2008-Estt(D) dated 19.05.2009 issued by the Department of Personnel and Training, Promotions earned/upgradations granted under the Assured Career Progression (ACP) scheme in the past to those grades which now carry the same grade pay due to merger of pay scales/upgradations of posts recommended by the Sixth Pay Commission shall be ignored



for the purpose of granting upgradations under Modified ACPs. Since the grade pay of Assistant Shipping Master and Deputy Shipping Master is identical i.e. ₹ 4600/-, the promotion granted to him to the post of Dy.Shipping Master has to be ignored as per the provisions of the above mentioned Memorandum. Hence he has completed 10 years of regular service in the grade pay of ₹ 4600/- on 17.2.2009 and he was due for first MACP as on 17.2.2009 in the Grade pay of ₹ 4800/- instead of second financial upgradation w.e.f. 30.11.2014.

2. THEREFORE, the competent authority after considering the representation dated 4.4.17 of Shri T. K. Krishna Kumar, has ordered for grant of first MACP to the petitioner in the scale of PB-2, ₹ 9300-34800 + grade pay ₹ 4800/- w.e.f. 17.02.2009 instead of w.e.f. 30.11.2014 issued vide Order No. 22.dated 17.02.2016.
3. This issues with the approval of the Director General of Shipping and Special Secretary to the Govt. of India.

(Subhash Barguzer)

*[Signature]*  
Deputy Director General of Shipping, (personnel)

To

Shri T. K. Krishnakumar, Deputy Director, Seamen's Employment Office, Mercantile Marine Department, Anchor Gate Building, Rajaji Salai, Chennai.

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. The Principal Officer, Mercantile Marine Department, Chennai with a request to revise the pay fixation of Shri T. K. Krishnakumar, Dy. Director, SEO, MMD, Chennai and draw arrears of pay due to him.
2. The Pay & Accounts Officer (Shipping), Kolkata.

